डा० सच्चिदानन्द चौधरी
कुलपति

दरभंगा ।
दिनांक—— सितम्बर, १९७२ ई० ।
पत्रांक बी०ए०/सी-८३-७३

प्रेषक :-

शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार,
पटना ।

विषय:- [illegible] महाविद्यालय, टौफा, दरभंगा की अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति हेतु ।

महाशय,

उपर्युक्त महाविद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए २६-३-७१ विशेष अभिषद् ने निम्नांकित रूप में संस्तुति की है :-

"निर्णय हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन को यथावत् स्वीकृति दी जाय"

उपर्युक्त अभिषद् में प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में अस्थायी सम्बद्धता देने के लिए सिफारिश की गई थी । तदनुसार २ एवं ३ अक्टूबर,७२ विशेष अभिषद् ने निम्नांकित रूप में स्वीकृति दी है :-

"सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस महाविद्यालय को २६-३-७१ विशेष अभिषद् की संस्तुत्यनुसार परानुमोदन करते हुए सम्बद्धता शर्तों के साथ १९७२-७३ सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति दी जाती है।"

अतएव आपसे अनुरोध है कि [illegible] महाविद्यालय, टौफा, दरभंगा को उपर्युक्त अभिषद् के निर्णयानुसार परानुमोदन करते हुए १९७२-७३ सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति का आदेश शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा इस महाविद्यालय के छात्रों को आगामी परीक्षा में नियमित रूप से प्रविष्ट होने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

भवदीय
ह०/-

(डा० सच्चिदानन्द चौधरी)
कुलपति

(कु०/०२०)

डा० [illegible] चौधरी,
कुलपति

विश्वविद्यालय
दरभंगा
दिनांक २४ मई, १९७५
पत्रांक [illegible] १७४

सेवा में:-

शिक्षा निदेशक (उच्च),
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार,
पटना ।

विषय:- संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, काशीपुर की स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति हेतु ।

महाशय,

उपर्युक्त महाविद्यालय को १९७३-७४ तक अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible]-७४ द्वारा प्राप्त है ।

इसकी स्थायी सम्बद्धता के क्रम में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार [illegible]-७४ सिण्डिकेट अधिवेशन एवं [illegible]-७४ सिण्डिकेट अधिवेशन ने निम्नांकित रूप से अनुशंसा की है :--

" यह समिति ने निर्णय लिया कि भूमि का संस्था के नाम निबन्धित भूमि की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं की गयी है । अतः ऐसी स्थिति में सत्र १९७३-७४ तक के लिये ही अस्थायी सम्बद्धता की अवधि वृद्धि स्वीकृत की जाती है ।"

[illegible] शिक्षा निदेशक (उच्च) बिहार की पत्र [illegible] दिनांक [illegible] प्राप्त किया गया । इसी मध्य में उक्त संस्था के निबन्धित भूमि की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को प्राप्त होने पर स्थायी सम्बद्धता के हेतु [illegible] सिण्डिकेट अधिवेशन में इस विषय को उपस्थापित किया गया । तदनुसार अधिवेशन ने निम्नांकित रूप से अनुशंसा की है :--

" यह समिति ने संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, काशीपुर को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा सरकार से की जाय ।"

उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में [illegible] सिण्डिकेट अधिवेशन ने निम्नांकित रूप स्वीकृति प्रदान की है :--

" यह समिति ने निर्णय लिया कि अधिवेशन की अनुशंसा के अनुसार संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, काशीपुर को [illegible] स्तर तक पठन-पाठन के लिये स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति दी जाती है ।"

अतएव उपर्युक्त निर्णयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, काशीपुर को स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय,

(डा० [illegible] चौधरी)
कुलपति

[illegible]

पत्रांक [illegible]/[illegible] दिनांक— 9263,
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक,

श्री नरेन्द्र नारायण,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुल सचिव,
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक—.......... मार्च, 76।

विषय— श्री [illegible] संस्कृत महाविद्यालय, [illegible] के [illegible] हेतु।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3114 दिनांक 26 मार्च, 75 के संदर्भ में कहना है कि [illegible] महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत कम है। फिर भी राज्य सरकार ने वर्ष 1974-75 के लिए [illegible] की [illegible] [illegible] के [illegible] के [illegible] में [illegible] दी है।

इस महाविद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम है अतः इस महाविद्यालय की छात्र संख्या में [illegible] किया जाय, तथा महाविद्यालय के [illegible] के लिये [illegible] निर्धारित [illegible] की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(नरेन्द्र नारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 9262/पट-4, दिनांक—.......... मार्च, 76।

प्रतिलिपि प्राचार्य, श्री [illegible] संस्कृत महाविद्यालय, [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[illegible] 7/5/76
(नरेन्द्र नारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

१-	२-	३-	४-	५-
७-	सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय, झगौली, ग्राम मधुबनी ।	१९७७-७८ से दो सत्र मात्र	---	---
८-	रोशंकर ठाकुर चौधरी संस्कृत महाविद्यालय, बानपुरा, मधुबनी ।	१९७६-७७ से दो सत्र मात्र	सुरक्षा निधि में अविलम्ब रुपये जमा किये जाँय ।	१९७३-७४ से ७५-७६ तक [illegible] सम्मिलन के प्रस्ताव पर सुरक्षा निधि में रुपया जमा होने पर एवं अधिक निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।
९-	मैथिली विश्वविद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगा	१९७६-७७ से दो सत्र मात्र ।	१- छात्र संख्या में वृद्धि किया जाय २- पक्का भवन बनाया जाय ।	------
१०-	आदिनाथ पारसमणि संस्कृत महाविद्यालय, रहुआ संग्राम, मधुबनी ।	१९७५-७६ से तीन सत्र मात्र	१- सुरक्षा निधि में अविलम्ब रुपया जमा की जाय । २- और भूमि अर्जित की जाय ।	------
११-	उमेश संस्कृत महाविद्यालय, तरौनी, दरभंगा	१९७७-७८ से दो सत्र मात्र ।	पुस्तकालय में और भी पुस्तकें खरीदी जाय ।	-------
१२-	ब्रह्मदेवमुनि उदासीन संस्कृत महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली ।	१९७७-७८ से दो सत्र मात्र ।	१- छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाय २- कुछ और भूमि अर्जित की जाय	-------

-::: सूची :::-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	सत्र जिनके सम्बन्धन के दीर्घीकरण के प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गयी है।	शर्त	मन्तव्य
१-	२-	३-	४-	५-
१-	राजा उमाकान्त संस्कृत महाविद्यालय, सुखेना, पूर्णियाँ।	१९७८-७९ से दो सत्र मात्र	--	--
२-	उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय, महिषी, सहरसा।	१९७७-७८ से दो सत्र मात्र	--	--
३-	[illegible] संस्कृत महाविद्यालय, गिद्धौर, मुंगेर।	-------------	--	इस महाविद्यालय को १९७८-७९ तक सम्बन्धन है। अतः बाद में इसके सम्बन्धन के दीर्घीकरण या स्थायी सम्बन्धन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।
४-	महन्थ ज्ञानानन्द गिरि-हरिहर संस्कृत महाविद्यालय, बोधगया, गया।	१९७७-७८ से दो सत्र मात्र	---	------
५-	संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, समस्तीपुर।	१९७५-७६ से १९७८-७९ तक	छात्रसंख्या में वृद्धि की जाय	------
६-	मदनेश्वरनाथ संस्कृत महाविद्यालय, मदनेश्वरस्थान, मुंगेर।	१९७६-७७ से तीन सत्र मात्र	छात्रसंख्या में वृद्धि की जाय।	------

पत्रांक:- 2/स५-15/2005उ०शि०———————।

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग ।

प्रेषक,

अमरेन्द्र नारायण सिंह, भा. प्र. से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

कुलपति,
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

पटना, दिनांक अप्रैल, 2006 ।

विषय:- संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, समस्तीपुर को स्थायी संबंधन में सहमति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3273 दिनांक-30-5-2005 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने संस्कृत महाविद्यालय, रोसड़ा, समस्तीपुर को पूर्व में आपकी स्तर तक दिए गये शर्तों के साथ स्थायी संबंधन के प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने की कृपा की है ।

2- संबंधित प्रधानाचार्य को उक्त निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक:- 2/स५-15/2005उ०शि०-688: पटना, दिनांक 5 अप्रैल, 2006 ।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं संबंधित कार्यालय सहायक, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।
5-4-06